न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

एस.ए.आर. अपील 46 आर–15/03–04
ए.सी.टी.आर. 22 आर–15/06–07

पंकज कच्छप	अपीलकर्त्ता
बनाम	
मो. रईस आलम वगैरह	प्रतिवादी

आदेश

28.12.2007

यह अपील एस. ए. आर. वाद संख्या 64/02–03 में दिनांक 19.04.03 को श्री बलराम, विशेष पदाधिकारी, राँची द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया है।

ग्राम	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
राँची	189	649	29 कट्ठा 13 छटाक
		596	30 डिसमील
		603	31 डिसमील

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खेवट सं. 10 के अन्तर्गत खतियान में गैर आदिवासी के नाम दर्ज है एवं कैफियत कॉलम में अपीलकर्त्ता के पूर्वज राय साहब बंदी राम उरॉव का दखल दर्ज है। रिविजनल सर्वे के दौरान विवादित जमीन सर्टिफिकेट केस नं. 351/1935 द्वारा नीलाम हुआ था जिसे अपीलकर्त्ता के पूर्वज राय साहब बंदी राम उरॉव ने खरीदा तथा 21.09.1935 के उन्हें दखल देहानी प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण जबरन जाली दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर कब्जा किये हुए हैं।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही जबाब में दुहराया गया। प्रतिवादी की ओर से

लिखित बहस दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह वाद पंकज कच्छप द्वारा रईस आलम एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया है। पंकज कच्छप और कोई नहीं बल्कि स्वराज उरॉव का भतीजा है जिसने एस. ए. आर. अपील 14आर–15/04–05 दायर किया है। जब स्वराज उरॉव द्वारा दायर एस.ए.आर. वाद संख्या 75/98–99 खारीज हो गया तब पंकज कच्छप द्वारा उसी जमीन पर एस. ए. आर. वाद दायर किया। यह वाद काल बाधित है। खतियान में विवादित भूमि खेवट सं. 10 के अन्तर्गत बकास्त मालिक सीता राम साहू एवं ठाकुर दयाल साहू के नाम दर्ज है। यह जमींदार की सम्पत्ति थी जिसे उन्होने विभिन्न हुक्मनामा के माध्यम से चार व्यक्तियों शेख रहमान, शेख सहामत, अब्दुल गफार एवं जैतुन निशा के नाम बंदोबस्त किया जो प्रतिवादियों के पूर्वज थे। उसी समय से प्रतिवादी दखल में है।

उभय पक्षों के बहस और अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि तकरारी भूमि का खाता सं. 189 बकास्त मालिक है जो आदिवासी खाते की नहीं मानी जा सकती है। इस जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए के अन्तर्गत कार्रवाई सम्भव नहीं है। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश सही है और इसमे परिवर्त्तन की गुंजाईश नहीं है।

अतएव अपील अस्वीकृत किया जाता है। सबों को आदेश से अवगत करा दें।

लेखापित वो संशोधित,

दिनांक –28.12.2007

ह0/–

अपर समाहर्त्ता,
राँची।